

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार
ऑचलिक कार्यालय, (उत्तर)
लखनऊ - 226010

दूरभाष संख्या : 0522- 4087600

फैक्स संख्या : 0522-4087602

जेडओएल/प्रशा/यूपीएस/108/खण्ड-11 / 528

दिनांक 07.10.2014

कोटेशन आमंत्रण सूचना

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ऑचलिक कार्यालय (उत्तर), लखनऊ में स्थापित 5 एवं 3 केवीए, यूनीलाइन, यूपीएस के लिए निम्नानुसार 14 Nos. SMF बैटरी (12V 17 AH) क्य करने के लिए निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं

Specifications of Batteries for 2 KVA, Uniline, UPS

क्रम.सं.	मद का नाम तथा बांड	बैटरियों का विवरण	संख्या
01	एस.एम.एफ.बैटरी ब्रांड: एक्साइड या एमरान क्वांट	12V 17 AH	14 Nos.


दर पुरानी बैटरी की वापसी के आधार पर दिये जायें।

इस संबंध में *नियम व शर्तें* निम्नानुसार है-

01. निविदाएं इस कार्यालय में दिनांक 07.11.2014 तक या इससे पूर्व पहुँच जानी चाहिए। इस अवधि के पश्चात प्राप्त होने वाली निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।
02. निविदाओं को लिफाफे में अच्छी तरह मुहरबंद करें तथा निविदा कमांक जेडओएल/प्रशा/यूपीएस/108/खण्ड-11/ लिफाफे के ऊपर स्पष्ट लिखे हो। निविदा को डाक द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ऑचलिक कार्यालय (उत्तर), पिकप भवन, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ को प्रेषित करने या कार्यालय में रखे निविदा बॉक्स में डाले जाने की सलाह दी जाती है। हाथों हाथ निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी।
03. क्रम 01 के अनुसार तिथि परिवर्तन बोर्ड एक या सभी निविदाओं को बिना कोई कारण बताए रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। निविदा खोले जाने की तिथि 10.11.2014 (अपराहन 3.00 बजे) को भी बिना कोई कारण बताए स्थगित किया जा सकता है।
04. निविदा पर सुधार या ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए। गलती यदि हो जाए तो स्पष्ट रूप से काट कर उस पर हस्ताक्षर कर दिया जाए।


05. दर शब्दों एवं अंकों दोनों में लिखा जाए। दोनों में विषमता की स्थिति में शब्दों में लिखें दर को सही एवं अन्तिम माना जायेगा।
06. दिए गए दर पैकिंग, लोडिंग तथा अनलोडिंग इत्यादि को शामिल करके होना चाहिए यदि वैट इत्यादि लागू हो तो उसकी दर अलग से दी जाए। कृपया रजिस्ट्रेशन नं. यू.पी.एस.टी./सी.एस.टी. नं. से सम्बन्धित आवश्यक अभिलेख साथ लगाएं।
07. निर्धारित तिथि 07.11.2014 के उपरान्त प्राप्त किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
08. बैटरी की वारंटी अवधि कम से कम 02 वर्ष की होनी चाहिए इस दौरान बैटरी में किसी प्रकार की खराबी आने पर आपको अपने खर्चे पर ठीक करना होगा। नया बैटरी से बदलना होगा।
09. बैटरी की कुल राशि का 05 प्रतिशत ई.एम.डी. राशि निविदा के साथ डी.डी के रूप में संलग्न करना अनिवार्य है। निविदा के असफल होने की स्थिति में यह राशि दो माह के भीतर वापस कर दी जायेगी।
10. निविदा के सफल होने की स्थिति में कुल राशि का 10 प्रतिशत परफोर्मेंस सुरक्षा राशि डी.डी./एफ.डी./बैंक गारण्टी के रूप में जमा करना होगा जो वारंटी पीरियड के संतोषजनक पूर्ण होने के पश्चात वापस की जायेगी।
11. किसी भी विवाद की स्थिति में अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का निर्णय अन्तिम एवं दोनों पक्षों को मान्य होगा।
12. टाइपिंग या लिपिकीय गलतियों में सुधार किया जा सकता है।

नोट: कृपया अपनी निविदा को अच्छी तरह मुहरबंद इत्यादि करके भेजें अन्यथा निविदा को निरस्त किया जा सकता है।


(गोविन्द भगत)
अनुभाग अधिकारी

प्रतिलिपि:

1. प्रभारी : कम्प्यूटर प्रभाग, के.प्र.नि.बो. दिल्ली - कृपया वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
2. कार्यालय प्रति, ऑ. कार्या. लखनऊ


अनुभाग अधिकारी